



D.S.W.

Ref. No. KU/DSW/.....227/17

Date: 15/12/2017

### कार्यालय आदेश

सूचित किया जाता है कि छात्र संघ चुनाव, 2017 हेतु वैसे सभी मतदाता जिनके पास मतदान के समय संबंधित स्नातकोत्तर विभाग/महाविद्यालय द्वारा निर्गत पहचान पत्र न हो तो भी मतदाता सूचि में नाम होने की स्थिति में (क) नामांकन की रसीद (मूल रूप में) तथा (ख) सरकार द्वारा निर्गत फोटो पहचान पत्र (वोटर आई कार्ड/आधार कार्ड/ड्राइविंग लाईसेंस/पैन कार्ड) दोनों को (मूल रूप में) दिखाकर मतदान कर सकेंगे।

सभी पर्यवेक्षकों को आदेशित किया जाता है कि अपने-अपने चुनाव केन्द्र से मतदान के दिन हर 2 घंटे पर अपनी रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी को ई-मेल द्वारा प्रेषित करेंगे।

सभी निर्वाची पदाधिकारियों को आदेशित किया जाता है कि इस पत्र की प्रति अपने-अपने पर्यवेक्षकों को अनुपालनार्थ ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

आदेशानुसार

ह0/-

संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण

मुख्य निर्वाची अधिकारी

कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा।

दिनांक 16/12/2017

ज्ञापांक KU/DSW/.....227/2017

प्रतिलिपि:-

1. सभी निर्वाची पदाधिकारी, छात्र संघ चुनाव 2017 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. कुलपति/प्रतिकुलपति/वित्त परामर्शी/कुलसचिव/वित्त पदाधिकारी के सहायक को कुलपति/प्रतिकुलपति/वित्त परामर्शी/कुलसचिव/वित्त पदाधिकारी के सूचनार्थ।

*Opay*  
16/12/17

संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण

मुख्य निर्वाची अधिकारी

कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा।

नोट- सभी समाचार पत्रों को निःशुल्क प्रकाशन हेतु।